सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 208 (2), लिस्टर- 1जे0 (डी) के अन्तर्गत अपनी सीमान्तर्गत हाट बाजार की व्यवस्था को नियंत्रित तथा विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300(1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, से आपतियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊ0सिं0नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 06-04-2023 के प्रस्ताव सं- 01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "हाट बाजार" उपनियम- 2023 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त आपति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ है।

अतः नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-300(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उपविधि का प्रकाशन आपति एवं सुझाव हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा की वेबसाइट- www.nppkelakhera.in पर एवं कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा के कर अनुभाग में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं, जिसका अवलोकन प्रकाशन की तिथि को प्रातः 10 बजे से किया जा सकता है।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु "हाट बाजार" उपनियम- 2023 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के अंदर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये जाते है, आपत्तियां निर्धारित तिथि 16.06.2023 को सायं 04:00 बजे तक लिखित रूप मे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केलाखेड़ा जिला - उधम सिंह नगर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

17-05-2023

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
उधम सिंह नगर

अध्यक्ष
नगर पंचायत केलाखेड़ा
उधम सिंह नगर

कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊधम सिंह नगर)

पत्रांक 154 /न०पं०/ हाट बाज़ार उपनियम/२०२३-२४ दिनांक- 17 /०५/२०२३

प्रतिलिपि निम्नाकित की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित ।

१. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त विज्ञापन सूचना शासकीय दरो पर न्यूनतम साइज़ में प्रकाशित करते हुये समाचार पत्र की ०२ प्रतियो सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
२. आयुक्त महोदय कुमाऊ मण्डल नैनीताल ।
३. निदेशक महोदय शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून ।
४. जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर की सेवा मे सूचनार्थ एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित ।
५. उपजिलाधिकारी महोदय बाजपुर उधम सिंह नगर की सेवा मे सूचनार्थ एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित ।
६. वरिष्ठ लिपिक, नगर पंचायत केलाखेड़ा को इस आदेश के साथ प्रेषित की उपरोक्त सार्वजानिक सूचना का प्रकाशन निकाय की वेबसाइट - www.nppkelakhera.in पर कराना सुनिश्चित करें ।
७. नगर पंचायत केलाखेड़ा सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु ।
८. पत्रावली मे रखरखाब हेतु ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
उधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner